रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2014/माघ 11, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 232
No. 19] DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2014/MAGHA 11, 1935 [N.C.T.D. No. 232

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचनाएं
दिल्ली, 31 जनवरी, 2014

सं. फा. 5(3)/वाद/09/उपसचिव/110-123.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974(1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री पवन शर्मा लोकाभियोजक/स्थाई परामर्शदाता (अपराधिक) की नियुक्ति की अधिसूचना संख्या सं. फा. 5(3)/वाद/09/उपसचिव/10776 दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को रद्द करते हैं । यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATIONS
Delhi, the 31st January, 2014

No. F.5(3)/Lit/09/110-123.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby rescinds the Notification No. F.5(3)/Lit/09/LJ/09/10776 dated 22nd December, 2009 in respect of appointment of Shri Pawan Sharma, Public Prosecutor/Standing Counsel (Criminal), with immediate effect.

सं.फां. 6/15/2012–न्याय/Suptlaw/130–133.—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त एवं इस विषय में अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों – श्री तलवन्त सिंह, श्री टी.आर.नवल, श्री राकेश सिद्धार्थ, श्री अमरनाथ, श्री प्रदीप चड्डा, श्री नरेश कुमार कौशिक, श्री ब्रजेश सेठी, सुश्री रेखा रानी, श्री कमलेश कुमार, सुश्री आशा मेनन (नियमानुरूप आधार पर), श्री दिलबाग सिंह पुनिया, (ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत) को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, की धारा 4 के तहत, प्रदत्त शक्तियों के साथ, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय नियुक्त करते हैं ।

No. F. 6/15/2012-Judl./FC/Suptlaw/130-133.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, hereby appoints, Mr. Talwant Singh, Mr. T.R. Naval, Mr. Rakesh Siddhartha, Mr. Amar Nath, Mr. Pradeep Chadha, Mr. Naresh Kumar Kaushik, Mr. Brijesh Sethi, Ms. Rekha Rani, Mr. Kamlesh Kumar, Ms. Asha Menon (on proforma basis) and Mr. Dilbagh Singh Punia (under next below rule), officers of Delhi Higher Judicial Service, as Principal Judges, Family Courts, Delhi, with effect from the date(s) they take over, in terms of Section 4 of the Family Courts Act, 1984, with conferment of powers as such.

सं.फां. 6/55/2010–न्याय/एसयूपीटीलॉ/121–128.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 20 के उपबंधों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के विरूद्ध उल्लेखित तिथि से जिला न्यायाधीश नियुक्त करते है :–

1. सुश्री इना मल्होत्रा (ठीक नीचे के नियम के अन्तर्गत पहले से ही जिला न्यायाधीश) को जिला न्यायाधीश के रूप में दिनांक 01.02.2014 से नियमित आधार पर ।
2. सुश्री रविन्दर कौर ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार संभालने की तिथि से ।

No. F. 6/55/2010-Judl./ Suptlaw/121-128.—Under the provisions of Section 20 of the Punjab Courts Act, 1918, as in force in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of the High Court of Delhi, appoints the following officers of Delhi Higher Judicial Service as District Judges with effect from the dates mentioned against their names :—

1. Ms. Ina Malhotra (already District Judge under next below rule) as District Judge on regular basis with effect from 01.02.2014.
2. Ms. Ravinder Kaur under the next below rule with effect from the date she takes over.

सं.फां. 6/15/2012–न्याय/एसयूपीटी लॉ/135–137.—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से तीस हजारी न्यायालय परिसर में सेंट्रल जिले के लिए, विश्वास नगर न्यायालय परिसर में पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले के लिए, कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर में शाहदरा के लिए प्रत्येक में एक परिवार न्यायालय और तीस हजारी न्यायालय परिसर में

पश्चिम जिले के लिए दो परिवार न्यायालयो की स्थापना करते हैं, जिनके क्षेत्राधिकार क्रमशः उपर्युक्त दिल्ली के जिले होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
ए. एस. यादव, प्रधान सचिव

No. F. 6/15/2012-Judl./FC/Suptlaw/135-137.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 3 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi in consultation with the High Court of Delhi, notifies, the establishment of one Family Court each for Central District at Tis Hazari Court Complex, East and North East Districts at Vishwas Nagar Family Court Complex, one Family Court for Shahdara District at Karkardooma Court Complex and two Family Courts for West District at Tis Hazari Court Complex having jurisdiction over the above said Districts of Delhi respectively.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
A. S. YADAV, Principal Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 जनवरी, 2014

सं.फां. 5(54)/नीति/वैट/2013/पार्ट फा./1280–1292.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या फां. 5(54)/नीति/वैट/2013/पार्ट फा./1123–1135 दिनांक 26–12–2013 के आंशिक संशोधन में, पार्ट–ए दूतावासों की सूची में, क्रम संख्या–34 के सामने वर्णित निम्नलिखित शब्दों को हटाया जाता है।

"केवल 8200 रुपये या उससे अधिक इंवाइस के लिए ।"

प्रशांत गोयल, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 31st January, 2014

No. F. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/1280-1292.—In partial modification of this department's Notification No. F.5(54)/Policy/VAT/2013/PF/1123-1135 dated 26-12-2013, the following words mentioned against Sl. No. 34 in Part A-List of Embassies shall be deleted :—

"Only for invoices of Rs. 8200 and above".

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.